<u>प्रेस नोट</u>

<u>बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी</u>

दीव, 12 फरवरी, 2018.

आज दीव जिला प्रशासन द्वारा यह जानकारी दी गई कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार सभी मोटरसाइकल/स्कूटर चालकों एवं उनके पीछे बैठने वाली सवारी को ISI मार्क का हेलमेट पहनना अनिवार्य है । इसके अलावे वाहन चालकों को गाड़ी चलाते समय उचित ड्राइविंग लाइसेंस तथा गाड़ी के कागजात अपने साथ रखना अनिवार्य है । इसका अनुपालन न करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

परिवहन उप निदेशक डॉ. अपूर्व शर्मा ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग उक्त नियम का पालन करें । उन्होंने अभिभावकों से विशेषरूप से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको गाड़ी चलाने के लिए कदापि न दें ।

उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को बिना हेलमेट पहने हुए, गलत टर्न लेते हुए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए या अन्य किसी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए देखें, तो तत्काल उसका फोटो खिंचकर WhatsApp No. 9898219848 पर भेजें या फेसबुक पेज Transport Departemnt_Diu या ट्विटर पेज @Diu_Transport पर पोस्ट करें । प्रशासन नियम भंग करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा ।

हस्ता./-
(अन्तर्यामी परिड़ा)
जन संपर्क अधिकारी,
दीव